राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 27.03.2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– निजी अस्पतालों को (COVID-19) संक्रमण से बचाव हेतु आरक्षित/ चिन्हित करने के संबंध में।

विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.03.2020 के द्वारा राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाले समस्त शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको भी अधिकृत/सशक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के क्रम में आप अपने जिले के सबसे बडे निजी अस्पताल को कोराना वायरस (COVID-19) संक्रमण के इलाज हेतु आरक्षित/ चिन्हित करते हुए इन निजी अस्पतालों की सूची ई–मेल आई डी. phs@rajasthan.gov.in एवं ceo-rshaa@gov.in पर तत्काल भिजवायें।

संलग्न : अधिसूचना दिनांक 11.03.2020 की प्रति

27/03/20
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner